



संख्या: सी- 2771 / 707 / संग्रह-83

दिनांक: 06 अगस्त, 2024

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पश्चिमी क्षेत्र / पूर्वी क्षेत्र / उत्तरी क्षेत्र।

निदेशक: महाराष्ट्र एवं गोवा जी0डी0 / मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश जी0डी0।

विषय: अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण / तैनाती।

निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिवीजन-1 को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मैट्रिक्स में लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण / तैनाती के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	टिप्पणी
1.	Shri Nitin Patil	Maharashtra & Goa GD, Pune	J & K and Ladakh GD, Jammu	—
2.	Shri Filix Jala	Meghalaya & Arunachal Pradesh GD, Shillong	Odisha & Chhattisgarh GD, Bhubaneshwar	—

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तिथि से प्रभावी होगी। इस आदेश को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए।

3. अधिकारी द्वारा पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने पर उनके प्रमाण-पत्र फार्म 0.115 (लेखा) की दो प्रतियां इस कार्यालय को शीघ्र भेजने की कृपा करें। जिसमें कार्य ग्रहण करने की तारीख के साथ पूर्वाह्न / अपराह्न स्पष्ट रूप से दर्शाया हो।

4. अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति के कास्ट स्टेटस (Caste Status) एवं PwBD Category सम्बन्धी व्यक्ति के प्रमाण-पत्र के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति/जन जाति/ PwBD Category से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

5. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किये जायें।

6. उपरोक्त अधिकारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए FR 22 (I)(a)(1) के अधीन अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा तथा यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी को MACP योजना के अन्तर्गत FR 22 (I)(a)(1) का लाभ मिल चुका है तो उनका वेतन नियतन निर्धारित नियमों के अनुरूप करें।

7. These promotion orders are according to the instructions mentioned under para 4 of DoP&T's OM No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) {Pt-II} dated 15-06-2018 and DST's No.SM/02/10/2017 dated 16-05-2019. The select list of the panel will be subject to the outcome of SLP (C) No.30621/2011 (Jarnail Singh & Others Vs Lachhmi Narain Gupta & Others) and the SLP (C) No.31288/2017 and any other court case in connected matter. Further subject to outcome of OA No.61/519 of 2018 filed by Shri Jasbir Singh Bangari, then Officer Surveyor Vs Union of India & Others.

8. पदोन्नत अधिकारियों से संलग्न **Undertaking** प्राप्त कर लें तथा अधिकारी की **Service Book** में रिकार्ड हेतु रखें।

संलग्न: यथोपरि।

(एस0 वी0 सिंह)

अपर महासर्वेक्षक

कृते भारत के महासर्वेक्षक।

E-mail:- sv.singh soi@gov.in

Phone NO:- 0135-2740667

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक: जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख जी0डी0 / ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जी0डी0।
2. लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जयपुर / कोलकाता।
3. प्रभारी अधिकारी, कार्य अध्ययन एकक, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून।
4. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1 / जे0सी0एम0 अनुभाग / ए0सी0आर0, महासर्वेक्षक का कार्यालय।
5. वेब एडमिन, महासर्वेक्षक का कार्यालय / इंचार्ज, ई-ऑफिस, महासर्वेक्षक का कार्यालय।
6. **SPS to SGI for information.**